न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्याः— 226/2007/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़(भूमिधारी)

प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी ग्राम भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2. बीरमा पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी ग्राम भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
3.बदरी पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी ग्राम भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रूल्याणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री भंवरलाल बिजारणिंया

निर्णय दिनांकः—09.07.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भिलूण्डा पटवार हल्का भिलूण्डा भू अभिलेख निरीक्षक वृत नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ में आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 35 बीघा (8.85है0) अवस्थित है। उपरोक्त आराजियात राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 एवं राज0 काश्तकारी कानून 1955 के प्रारम्भ के पूर्व से ही माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी वाके सीकर के नाम जागीर के रूप में चली आ रही थी। तदनुसार ही भूप्रबन्ध के दौरान एवं राजस्व अभिलेख की जमाबन्दी संवत् 2013 में प्रविष्टियॉ अंकित की गई थी। कृषक के कॉलम में जौधा पुत्र भूरा कोम जाट सा0 देह मु0क0 खुद काश्त अंकित है। जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के लागू होने के बाद वर्णित भूमि मन्दिर श्री रघुनाथ जी वाके सीकर की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी जो दर्ज न की जाकर जौधा पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम भिलूण्डा की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। चूंकि आ0टी0 एक्ट 1955 के अनुसार मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है और उसकी भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते। जैसा कि इसकी धारा 16 में प्रवाहित किया गया है। इस प्रकार जौधा पुत्र भूरा जाति जाट जो मन्दिर की भूमि के कृषक के रूप में उसके नाम गलत खातेदारी अंकित कर दी गई। उपरोक्त वर्णित भूमि का हि. 1/2 राजस्व अभियान के दौरान तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 2.6.74 द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 18.10.74 के अन्तरित होकर हुकमाराम पुत्र भूराराम के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। जौधा के फोत होने पर वर्णित भूमि का हि. 1/2 जरिये नामान्तरकरण संख्या 293 के उसके वारिसान बदरी व बीरमा के नाम दर्ज कर दी गई। हुकमाराम के फोत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 527 दिनांक 20.09.2006 के द्वारा वर्णित आराजी का हि0 1/2 रामेश्वर पुत्र हुकमाराम के नाम दर्ज हो गया। बदरी द्वारा वर्णित आराजी में अपने हि0 1/4 हिस्से का परित्याग बीरमा के पक्ष में कर दिये जाने से आराजी का 1/2 हिस्सा बीरमा के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 494 दिनांक 7.10.05 के खातेदारी दर्ज हो गई। उसके पश्चात् रामेश्वर पुत्र हुकमाराम व बीरमा पुत्र जोधाराम ने वर्णित आराजी को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रूल्याणी के पक्ष में रहन कर दिये जाने से जरिये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

472 दिनांक 18.06.05, 498 दिनांक 26.10.05 के वर्तमान में यह खाता बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है। उक्त इन्द्राज वर्तमान समय तक चालू जमाबन्दी संवत 2059 से 2062 में चला आ रहा है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 101, 213, 494, 472, 498 व 527 वाके भिलूण्डा कानून के विपरित है और निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही शाश्वत नाबालिग के अधिकार भी संरक्षित योग्य है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गलत प्रविष्टियां नामान्तकरण संख्या 101, 213, 494, 472, 498 व 527 को निरस्त करते हुये भूमि माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी वाके सीकर के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सं. 2013 से 2016 में खातेदारी माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी वाके सीकर कृषक जोधा पुत्र भूरा कोम जाट सा.देह मु.क. खुद काश्त के नाम से दर्ज रिकार्ड है। नामांतरकरण सं0 101 के द्वारा खाता जोधा पुत्र भूरा कोम जाट सा.देह के नाम दर्ज कर दिया गया। नामान्तकरण सं. 213 से उक्त खातेदारी जोधाराम पुत्र भूरा की बजाय बदरी बीरमा पुत्र जोधाराम हि.ब. जाति जाट सा.देह के नाम दर्ज कर दिया गया। नामान्तरकरण सं. 472 मुताबिक रहननामा के बदरी पुत्र जोधाराम हिस्सा 1/4 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा रूल्याणी मूर्तहीन शेष 3/4 हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी के दर्ज है। तत्पश्चात् नामातरकरण सं. 494 मुताबिक रजिस्ट्री हक परित्याग के बीरमा पुत्र जोधाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह शेष हिस्सा 1/2 हुकमाराम बदस्तुर दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरकरण सं. 498 मुताबिक रजिस्टर्ड रहननामा से बीरमा पुत्र जोधाराम हिस्सा 1/2 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा रूल्याणी मूर्तहीन दर्ज कर दिया गया। हुकमाराम पुत्र भूराराम फौत होने पर जरिये नामान्तकरण सं. 527 हुकमाराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/2 की बजाय रामेश्वर पुत्र हुकमाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह के नाम दर्ज कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2013 से 2016 में खातेदारी माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी वाके सीकर के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2013 से 2016 के पश्चात् उक्त खातेदारी बिना किसी आदेश के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से उक्त वर्णित आराजीयात सम्वत् 2013 से 2016 से पूर्व माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में खातेदारी हुक्माराम पुत्र भूराराम हि. 1/2 बदरी बीरमा पि. जोधाराम हि. 1/2 जाति जाट सा. देह हि.ब. खसरा नम्बर 263 रकबा 8.85 सम्पूर्ण राहिन सीकर भूमि विकास बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 35 बीघा की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 101, 213, 494, 472, 498 व 527 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/7/19

(जयप्रकाश)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official